



आदेश

श्री अशोक कुमार, सचिव, नगरपालिका, चीका द्वारा मांगा गया दिनांक 18-5-2018 से 29-5-2018 तक (कुल 12 दिनों) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री अशोक कुमार, सचिव, नगरपालिका, चीका की छूट्टियों के दौरान श्री कुलदीप मलिक, सचिव, नगरपरिषद, कैथल को नगरपालिका, चीका का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है।


स्थान: पंचकुला
दिनांक 17-5-2018

नितिन कुमार यादव,
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक डी.यू.एल.बी. / स्था. / 1ई / 2018 / PF/KJ / 50809-13 दिनांक 21/5/18

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।
2. उपायुक्त, कैथल।
3. श्री अशोक कुमार, सचिव, नगरपालिका, चीका
4. श्री कुलदीप मलिक, सचिव, नगरपरिषद, कैथल
5. वैबपोर्टल।


अधीक्षक स्थापना,
कृते: निदेशक, शहरीस्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला। @